न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 60/2026 बउनवानी रामगोपाल गुणसारिया **बनाम** अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर जिला सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी निवासी पचीपल्या तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/143

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
20.5.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 5..2.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **आम जनता सवाईमाधोपुर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक शिकायत पत्र जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था जिसका डिस्पेच नम्बर 452 दिनांक 13. 1.2026 है जिसमे ख0न0 191,376/120,89 से संबंधित अवैध प्लाटिंग, भूमि का परिवर्तन, गलत पटटे,दस्तावेजो मे हेराफरी, यूआईटी मे गलत चढाव तथा अधिकारियों द्वारा पदो का दुरूपयोग एवं भ्रष्टचार की गंभीर शिकायत की गयी है। उक्त शिकायत के सबंध मे 9 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना।** " अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकःएफ.13(03)()सूकाअ/2026/476 दिनांक 28.4.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 5.2.2026 मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1,2 की सूचना सचिव नगर विकास न्यास के कार्यालय से तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुरा के कार्यालय से प्राप्त करने बाबत एवं बिन्दु 3 एवं 6 लगायत 9 की सूचना राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 2.2.2009 के तहत आवेदक को देय नही है जिसके संबंध मे लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक :एफ.(01)(13)सूकाअ/2026/149 दिनांक 9.2.2026 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 5.2.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना के बिन्दु संख्या 1,2 की सूचना सचिव नगर विकास न्यास के कार्यालय से तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुरा के कार्यालय से प्राप्त करने बाबत अपीलान्ट को लिखा जा चुका है तथा बिन्दु संख्या 3 एवं 6 लगायत 9 की सूचना राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 2.2.2009 के तहत आवेदक को देय नही होने के कारण उक्त बिन्दुओं की सूचना अपीलान्ट को दिया जाना आवश्यक नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner